



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2000/भाद्र 23, 1922

No. 601]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2000/BHADRA 23, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

का.आ. 827(अ).—मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 1 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

का.आ. 828(अ).—उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 1 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

New Delhi, the 14th September, 2000

\* S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

S.O. 828(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. 12012/42/2000-SR]

[No. 12012/42/2000-SR]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

R. K. SINGH, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

का.आ. 829(अ).—बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 15 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

**S.O. 829(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the Central Government hereby appoints the 15th day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. 12012/42/2000-SR]

R. K. SINGH, Jt. Secy.